Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग-2)

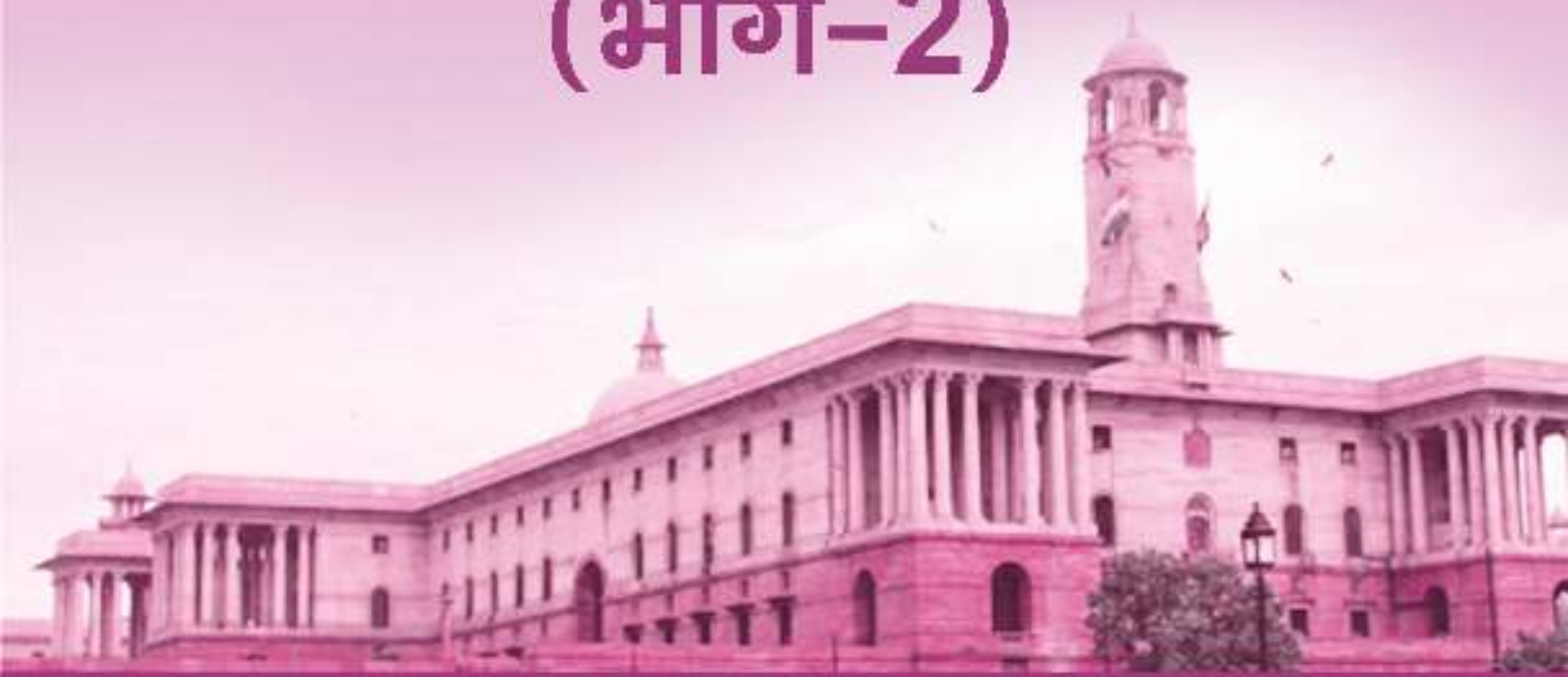

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSPM10

दृष्टि The Vision

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था

(भाग–2)

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP विषय सूची (Contents)

8.	राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व	5–15
9.	मूल कर्त्तव्य	16–20
10.	संघीय कार्यपालिका	21–57
11.	संघीय विधायिका	58–106
12.	भारत की न्यायपालिका	107–164

अध्याय
8

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

8.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास
8.2 संविधान में विद्यमान नीति-निदेशक तत्त्व
8.3 संविधान के अन्य भागों में दिये गए नीति-निदेशक तत्त्व
8.4 मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर
8.5 नीति-निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष का इतिहास
8.6 नीति-निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन

संविधान के भाग 4 को 'राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व' शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान का यह खण्ड आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक न्याय तथा व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये।

8.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास *(History of Directive Principles)*

भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहियें; साथ ही राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं, किंतु उन्हें मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना संभव नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार श्री बी.एन. राव ने संविधान सभा को सलाह दी थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जाना चाहिये:

(i) वे अधिकार, जो न्यायालय से प्रवर्तित कराए जा सकते हैं।

(ii) वे अधिकार, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

दूसरे वर्ग के, अर्थात् 'अप्रवर्तनीय अधिकारों' (Non-justiciable rights) का तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निदेशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक शिक्षा या प्रेरणा दे सकते थे। इस सुझाव को संविधान सभा की 'प्रारूप समिति' ने भी स्वीकार किया और मूल अधिकारों के तुरंत बाद संविधान के भाग 4 में इन्हें स्थान दिया।

मूल संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद नीति-निदेशक तत्त्वों के लिये रखे गए थे। आगे चलकर, इनमें निम्नलिखित संशोधन किये गए-

- '42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976' के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39(क), 43(क) तथा 48(क) को अंत:स्थापित किया गया।
- '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया।
- '86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये 'प्राथमिक शिक्षा के अधिकार' को अनुच्छेद 21(क) में मूल अधिकार का दर्जा दिये जाने के साथ ही अनुच्छेद 45 के मूल पाठ को हटाकर उसके स्थान पर एक नया पाठ रखा गया, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्त्तव्य राज्य पर डाला गया।
- '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के माध्यम से इस भाग में एक और संशोधन करते हुए अनुच्छेद 43(ख) अंत:स्थापित किया गया है जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन (Voluntary formation), स्वायत्त प्रचालन (Autonomous functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (Democratic control) तथा पेशेवर प्रबंधन (Professional management) को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निदेश देता है।
- भारत में 'कल्याणकारी राज्य' का आदर्श राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में निहित है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धान्त राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में जोड़ा गया था? **UPSC (Pre) 2017**
   (a) पुरुष और स्त्री दोनों के लिये समान कार्य का समान वेतन
   (b) उद्योगों के प्रबन्धन में कामगारों की सहभागिता
   (c) काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार
   (d) श्रमिकों के लिये निर्वाह-योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएँ सुरक्षित करना

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UPSC (Pre) 2017**
   भारत के संविधान के संदर्भ में, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
   1. विधायिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं।
   2. कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते हैं।
   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. भारत के संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? **UPSC (Pre) 2015**
   (a) उद्देशिका
   (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
   (c) मूल अधिकार
   (d) सातवीं अनुसूची

4. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: **UPSC (Pre) 2015**
   1. ये तत्त्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
   2. इन तत्त्वों में अन्तर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एनफोर्सिएबल) नहीं हैं।
   उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5. भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? **UPSC (Pre) 2014**
   (a) संविधान की उद्देशिका में
   (b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में
   (c) मूल कर्त्तव्यों में
   (d) नौवीं अनुसूची में

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. मूल संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद नीति-निदेशक तत्त्वों के लिये रखे गए थे।
   2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39(क), 43(क) तथा 48(क) को अंत:स्थापित किया गया।
   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. संविधान के भाग 4 का संबंध राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व से है।
   2. वर्तमान में भाग 4 के कुछ ही उपबंध शेष बचे हैं, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिये:

सूची-I (अनुच्छेद)	**सूची-II (नीति-निदेशक तत्त्व)**
A. अनुच्छेद 40	1. प्रसूति-सहायता संबंधी उपबंध
B. अनुच्छेद 42	2. कृषि तथा पशुपालन के संगठन से संबंधित उपबंध
C. अनुच्छेद 45	3. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करने से संबंधित उपबंध
D. अनुच्छेद 48	4. ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधी उपबंध

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	4	2	1	3
(c)	2	3	1	4
(d)	4	1	3	2

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. वर्तमान में पूरे भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू नहीं है।
   2. भारतीय संविधान में राज्य को यह निदेश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन से संबंधित उपबंध राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व में शामिल नहीं है।
   2. पर्यावरण संरक्षण व संवर्द्धन भारतीय संविधान के मूल कर्त्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
11. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व के संदर्भ में सत्य नहीं है:
   (a) यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
   (b) इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया गया है।
   (c) सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मूल अधिकार के पूरक के रूप में बताया है।
   (d) इसके द्वारा नागरिकों को कुछ नैतिक दायित्व सौंपा गया है तथा राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
12. निम्नलिखित में राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में शामिल नहीं है:
   (a) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि।
   (b) राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
   (c) मादक पेयों व हानिकर नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध।
   (d) संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध।
13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन के लिये मूलभूत आधार प्रदान करते हैं।
   2. संविधान के अनुच्छेद 36 में नीति-निदेशक तत्त्वों के संदर्भ में 'राज्य' (state) की परिभाषा दी गई है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
14. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्त्तव्य राज्य पर डाला गया है?
   (a) 6 से 14 वर्ष (b) 6 वर्ष से कम
   (c) 5 से 12 वर्ष (d) 5 से 14 वर्ष
15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 43(ख) अंत:स्थापित किया गया है।
   2. यह अनुच्छेद राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निदेश देता है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
16. निम्नलिखित में असत्य कथन है:
   (a) मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं जबकि नीति-निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
   (b) मूल अधिकारों की प्रकृति प्राय: नकारात्मक है जबकि नीति-निदेशक तत्त्वों की प्रकृति सकारात्मक है।
   (c) अधिकांश मूल अधिकारों को लागू करने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता होती है जबकि नीति- निदेशक सिद्धांतों के लिये ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होती।
   (d) मूल अधिकारों में आम तौर पर राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है जबकि नीति-निदेशक सिद्धांतों में मुख्यत: आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है।
17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्त्वों के मध्य संतुलन संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है।

2. वर्तमान में अनुच्छेद 31(ग) के आधार पर बनाई गई विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यदि कोई विधि अनुच्छेद 39(ख) या 39(ग) में वर्णित नीति-निदेशक तत्त्वों को उपलब्ध करने के लिये बनाई गई है तो वह अनुच्छेद 14 या 19 में दिये गये मूल अधिकारों की तुलना में प्राथमिक मानी जाती है।
2. अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य अपनी लोक सेवाओं में विधायिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिये कदम उठाएगा।

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. भारतीय संविधान के किसी भी भाग में 'समान कार्य के लिये समान वेतन' से संबंधित निदेश या प्रावधान नहीं है।
2. समान कार्य के लिये समान वेतन संबंधी प्रावधान भाग-3 के मूल अधिकार में स्पष्ट रूप से वर्णित है।

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

20. **कथन** (A)- राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के क्रियान्वयन की कोशिश न ही केंद्र और न ही राज्य सरकारों द्वारा की गई हैं।

कारण (R)- नीति-निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

(a) A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A तथा R दोनों सही हैं परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सही है।

21. भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति पर चलने व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पंचशील सिद्धांत को आधार बनाने जैसी अभिव्यक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं?

(a) अनुच्छेद 49 (b) अनुच्छेद 50
(c) अनुच्छेद 51 (d) अनुच्छेद 48(क)

22. निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है?

(a) केरल (b) गोवा
(c) आन्ध्र प्रदेश (d) जम्मू-कश्मीर

उत्तरमाला

1. (b)	2. (d)	3. (b)	4. (c)	5. (b)	6. (a)	7. (c)	8. (d)	9. (c)	10. (d)
11. (d)	12. (d)	13. (c)	14. (b)	15. (c)	16. (c)	17. (c)	18. (a)	19. (d)	20. (d)
21. (c)	22. (b)								

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. क्या नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिये। **UPSC (Mains) 2017**
2. चर्चा कीजिये कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिये समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। **UPSC (Mains) 2015**
3. पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिये भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मज़बूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिये। **UPSC (Mains) 2015**
4. नीति-निदेशक तत्त्वों तथा मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष की समीक्षा करें तथा यह भी बताएँ कि कौन-कौन से नीति-निदेशक तत्त्व मूल अधिकारों में भी आते हैं?

अध्याय
9

मूल कर्त्तव्य
(Fundamental Duties)

9.1 परिचय
9.2 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास
9.3 मूल कर्त्तव्यों की सूची
9.4 मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता

9.1 परिचय *(Introduction)*

भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुत: अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारविहीन कर्त्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्त्तव्यविहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। यदि व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ख्याल भी रखे। यदि व्यक्ति को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्यारी है तो यह भी ज़रूरी है कि उसमें दूसरों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो।

रोचक बात है कि सामान्यत: विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, सभी में सिर्फ मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। अमेरिका का संविधान इसका प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसमें मूल अधिकार तो हैं किंतु कर्त्तव्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जर्मनी, कनाडा तथा ब्रिटेन जैसे देशों में भी मूल कर्त्तव्यों की ऐसी कोई सूची नहीं है। साम्यवादी (Communist) देशों में मूल कर्त्तव्यों की घोषणा करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उसके संविधान के सातवें अध्याय में बहुत से ऐसे कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिनका पालन करने की ज़िम्मेदारी वहाँ के नागरिकों पर थी, जैसे- संविधान और कानूनों का पालन करना, अपने देश की सुरक्षा हेतु अनिवार्य सैनिक सेवा के लिये तैयार रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि।

9.2 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास *(History of Fundamental Duties in Indian Constitution)*

भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्य शुरू से शामिल नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को संविधान के सभी उपबंधों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए यह बताना था कि उसमें ऐसे कौन-से संशोधन किये जाने चाहिये कि वह ज़्यादा तर्कसंगत और व्यावहारिक हो सके? इस समिति की बहुत-सी अनुशंसाओं में एक यह भी थी कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्त्तव्यों का समावेश होना चाहिये। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग सिर्फ अधिकारों पर बल देते हैं, यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी कर्त्तव्य के सापेक्ष होता है।

इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर '42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976' के द्वारा संविधान में 'भाग 4' के पश्चात् 'भाग 4(क)' अंत:स्थापित किया गया और उसके भीतर अनुच्छेद '51(क)' को रखते हुए 10 मूल कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर, '86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' के माध्यम से एक और मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 21(क) में दिये गए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से सुसंगत था। अनुच्छेद 21(क) में यह गारंटी दी गई थी कि 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। इसी से सुसंगत 11वें मूल कर्त्तव्य द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या/और संरक्षकों पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

अध्याय
10

संघीय कार्यपालिका (Federal Executive)

10.1 भारत का राष्ट्रपति
10.2 भारत का उपराष्ट्रपति
10.3 भारत का प्रधानमंत्री
10.4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद
10.5 भारत का महान्यायवादी
10.6 भारत का महाधिवक्ता
10.7 भारत के अपर महाधिवक्ता

10.1 भारत का राष्ट्रपति *(The President of India)*

संविधान के अनुच्छेद 52 से 73 तक के समूह को 'राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति' शीर्षक दिया गया है, जिनमें अनुच्छेद 63 से 69 तक का हिस्सा उपराष्ट्रपति के संबंध में है जबकि शेष सारा राष्ट्रपति के संबंध में। इसके अलावा अनुच्छेद 74, 77, 78, 123, 361 आदि में भी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ उपबंध हैं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति *(Constitutional status of the president)*

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुच्छेद 53, 74 तथा 75 से स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है जबकि अनुच्छेद 74 तथा 75 में राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद से संबंध बताया गया है। इन अनुच्छेदों का मूल पाठ इस प्रकार है–

अनुच्छेद 53(1)– "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।"

अनुच्छेद 74(1)– "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" (मूल संविधान के अनुसार)

अनुच्छेद 74(2)– "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी?"

अनुच्छेद 75(1)– "प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।"

अनुच्छेद 75(2)– "मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत अपने पद धारण करेंगे।"

अनुच्छेद 75(3)– "मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।"

यदि मूल संविधान के इन उपबंधों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि संविधान की भाषा राष्ट्रपति के वास्तविक शासक होने का संदेह पैदा करती है। अनुच्छेद 53 की शब्दावली तो ऐसी है ही, अनुच्छेद 74 भी इसकी संभावना पैदा करता है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। 'सलाह' शब्द से कोई सरलता से यह भाव निकाल सकता है कि इसे मानने की कोई बाध्यता नहीं है। पुनः अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि न्यायालय इस बात की जाँच नहीं कर सकता कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं और यदि दी तो क्या दी? इससे यह खतरा और बढ़ जाता है कि यदि राष्ट्रपति मनमानी करना चाहे तो न्यायालय भी उससे यह प्रश्न नहीं पूछ सकता कि उसने कोई कदम किन आधारों पर उठाया है?

वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रश्न पर काफी विचार-विमर्श किया था। संविधान सभा के कई सदस्यों, जिनमें सभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, का आग्रह था कि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। संविधान के प्रारूप में इस उद्देश्य से एक अनुसूची भी जोड़ी

अध्याय
11

संघीय विधायिका
(Federal Legislature)

11.1 राज्यसभा	11.6 संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन
11.2 लोकसभा	11.7 संसद का कामकाज
11.3 संसद की सदस्यता	11.8 संसदीय विशेषाधिकार
11.4 संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया	11.9 संसदीय समितियाँ
11.5 संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया	11.10 संसद: एक मूल्यांकन

11.1 राज्यसभा *(The Council of States)*

हमारी संसद का एक सदन 'राज्यसभा' है जिसे अंग्रेज़ी में 'Council of States' कहा जाता है। इसकी संरचना प्राय: वैसी ही है जैसी इंग्लैंड में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' की है। थोड़ी-बहुत मात्रा में इसे अमेरिकी कॉन्ग्रेस के द्वितीय सदन 'सीनेट' के समकक्ष भी माना जा सकता है। कभी-कभी इंग्लैंड की राजव्यवस्था के अनुकरण पर इसे उच्च सदन (Upper House) कह दिया जाता है। हालाँकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

राज्यसभा का गठन *(Composition of the Council of States)*

संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, हालाँकि वर्तमान में यह 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (nominate) किये जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज-सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। शेष सदस्य, जो अधिकतम 238 हो सकते हैं किंतु वर्तमान में 233 हैं, निर्वाचित होते हैं।

राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित 'समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत' (Doctrine of equal representation) को नहीं अपनाया गया है बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर राज्यसभा में एक सदस्य होगा। संविधान की चौथी अनुसूची में सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) को राज्यसभा में आवंटित किये गए स्थानों की सूची दी गई है। वर्तमान में यह सूची इस प्रकार है-

आंध्र प्रदेश 11	केरल 9	तमिलनाडु..... 18	उत्तराखंड 3
पंजाब 7	हिमाचल प्रदेश ... 3	मेघालय..... 1	गोवा 1
तेलंगाना 7	असम 7	महाराष्ट्र 19	पश्चिम बंगाल .. 16
मध्य प्रदेश..... 11	राजस्थान 10	सिक्किम..... 1	गुजरात 11
मणिपुर..... 1	दिल्ली 3	कर्नाटक 12	जम्मू-कश्मीर 4
बिहार 16	छत्तीसगढ़ 5	मिज़ोरम 1	हरियाणा 5
उत्तर प्रदेश..... 31	त्रिपुरा 1	ओडिशा 10	नागालैंड 1
पुदुच्चेरी..... 1	झारखंड 6	अरुणाचल प्रदेश.... 1	**(कुल ..... 233)**

ध्यातव्य है कि सभी संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संविधान के '7वें संशोधन अधिनियम, 1956' के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति

अध्याय
12

भारत की न्यायपालिका (Judiciary of India)

12.1 भारत की न्यायपालिका : एक परिचय
12.2 न्यायालयों की कार्यवाही तथा अन्य पक्ष
12.3 सर्वोच्च न्यायालय
12.4 उच्च न्यायालय
12.5 अधीनस्थ न्यायालय
12.6 अधिकरण
12.7 विशेष उद्देश्य न्यायालय
12.8 न्यायपालिका में नवाचार

12.1 भारत की न्यायपालिका : एक परिचय *(Judiciary of India : An Introduction)*

न्यायपालिका के विभिन्न स्तर *(Different levels of Judiciary)*

भारत में न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) है जिसका प्रमुख कार्य केंद्र-राज्य विवादों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर विचार करना है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की अंतिम व्याख्या (interpretation) करना तथा सिविल (Civil) व आपराधिक (Criminal) मामलों में अपीलों की अंतिम सुनवाई करना भी इसके कार्यों में शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय (High courts) हैं जो किसी राज्य की न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। केंद्र-राज्य विवादों या विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर इनकी अधिकारिता (jurisdiction) नहीं है, किंतु इन विषयों को छोड़कर ये राज्य की सीमाओं के भीतर प्रायः वे सभी कार्य करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय देश के स्तर पर करता है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णयों को बदल सकता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण कर सकता है; पर उच्च न्यायालयों के प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर सकता।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से 'उच्चतर न्यायपालिका' (Higher Judiciary) कहा जाता है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालयों से नीचे के सभी न्यायालयों को सम्मिलित रूप से 'निम्नतर न्यायपालिका' (Lower Judiciary) या 'अधीनस्थ न्यायपालिका' (Subordinate Judiciary) कहा जाता है।

अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) के भी कई उप-स्तर हैं। इनमें सर्वोच्च स्तर पर ज़िला एवं सत्र न्यायालय (District and Session Court) होता है तथा उसके नीचे 2 से 3 स्तरों पर उसके अधीन काम करने वाले अन्य न्यायालय। ये सभी न्यायालय प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील तो सुनता ही है; साथ ही उनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उनके कार्य की समीक्षा आदि उसी के हाथ में होती है।

न्यायपालिका के इस परंपरागत ढाँचे के अलावा कुछ 'अधिकरण' (Tribunals) भी स्थापित किये जाते हैं जो किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखते हैं। अधिकरणों की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, हालाँकि अधिनियमों के माध्यम से उनके गठन की प्रक्रिया संविधान बनने के कुछ वर्ष बाद ही शुरू हो गई थी। संविधान के '42वें संशोधन अधिनियम, 1976' के माध्यम से अधिकरणों को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिये संविधान में भाग XIV-क जोड़ा गया था, जिसमें दो अनुच्छेद 323(क) तथा (ख) शामिल हैं। संवैधानिक स्तर के अधिकरणों का गठन इन्हीं अनुच्छेदों के तहत बनाए गए अधिनियमों के अनुसार किया जाता है, हालाँकि अभी भी अधिकांश मामलों में सामान्य अधिनियमों के माध्यम से अधिकरण गठित करने का चलन है। अधिकरणों की ही तरह कुछ 'आयोग' (Commission), 'बोर्ड' (Board) तथा 'फोरम' (Forum) भी कार्यरत हैं जो अपनी कार्य-शैली में अधिकरणों के काफी नज़दीक हैं।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596